भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1847

उत्तर देने की तारीख 11.12.2025

तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण

1847. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति समुदायों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कोई विशेष उपाय लागू कर रही है या ऐसा प्रस्ताव कर रही है;

(ख) जनजातीय आबादी के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी सहायता तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): सरकार, तमिलनाडु राज्य सहित देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के तौर पर अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें, आवास, विद्युतीकरण, रोज़गार पैदा करने, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करने के लिए अधिदेशित हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ-साथ योजनाएं केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफ़ाइल के विवरण 10ख में https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf. लिंक में हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रहा है। इन योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएपीएसटी निधियों की निगरानी के लिए वेब पतेः https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। यह ढांचा सीधे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से डेटा एकत्रित करता है और एमओटीए को डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आवंटन की तुलना में व्यय को देखने में सक्षम बनाता है।

नीति आयोग (डीएमईओ) ने पैकेज 9 के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया है, जिसमें वनबंधु कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया हैः

1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
2. अजजा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
5. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)
6. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना- पीएमएएजीवाई (पहले जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - टीएसएस को एससीए के रूप में जाना जाता था) पीएमएएजीवाई को अब नवस्वरूपित किया गया है और इसे डीएजेजीयूए के तहत शामिल किया गया है
7. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासनिक लागत

मंत्रालय ने निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन भी किय है :

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
2. अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
3. अजजा छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
4. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
5. प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
6. जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)
7. निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखा-परीक्षा (एमईएसएसए)
8. अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

उचित लेखा-जोखा और निगरानी के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका किसी अन्य योजना में विचलन न हो, डीएपीएसटी के अंतर्गत आबंटित निधियों को सभी बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी 'अनुदानों की विस्तृत मांगों' में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्ष के नीचे लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

तमिलनाडु में मंत्रालय की कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत जारी की गई निधि और लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रावृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को जारी की गई निधि और उसके लाभार्थियों का विवरण (31 मार्च, 2025 तक)

(लाख रुपयें में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24 *		वित्तीय वर्ष 2024-25*	
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी
1	तमिलनाडु	404.46	15325	362.34	17580	60.00	19178

*अनंतिम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को जारी की गई निधि और उसके लाभार्थियों का विवरण

(31 मार्च, 2025 तक)

(लाख रुपयें में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24*		वित्तीय वर्ष 2024-25 *	
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी
1	तमिलनाडु	2854.28	23529	2000.00	22675	2500.00	24913

*अनंतिम

पिछले तीन साल और चालू वर्ष में पीवीटीजी के विकास की योजना के लिए जारी निधियाँ (31.03.2025 तक)

(लाख रुपयें में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2022-23	2023-24	2024-25*
		निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि
1	तमिलनाडु	907.70	-	2723.11

*अनंतिम

पिछले वर्ष एमपीसी के लिए पीएम जनमन के तहत जारी की गई निधियाँ (31.03.2025 तक)

(लाख रुपयें में)

क्र.सं.	राज्य	2023-24 के दौरान जारी की गई निधि	2024-25 के दौरान जारी की गई निधि *
1	तमिलनाडु	519.75	2067.125

*अनंतिम

पीएम जनमन प्रगति - संबंधित मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विवरण (31.03.2025 तक *)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)		जल शक्ति मंत्रालय (जल जीवन मिशन)		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)		शिक्षा मंत्रालय (सर्व शिक्षा अभियान)
		मकान स्वीकृत	पूर्ण मकान	सड़कें स्वीकृत (किमी में)	पूरा हुआ (किमी में)	स्वीकृत गाँव	संतृप्त गाँव	स्वीकृत और संचालित योग्य एमएमयू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्र	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या
1	तमिलनाडु	9004	2318	0	0	1370	1212	105	34	34	8

क्र.सं.	राज्य का नाम	विद्युत मंत्रालय (पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना)		नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		दूरसंचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग - सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि)		जनजातीय कार्य मंत्रालय	
		स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	कवरेज के लिए आवास योजना (सं.)	कवर किए गए आवास (सं.)	स्वीकृत एमपीसी (सं.)	स्वीकृत वन धन विकास केंद्र (सं.)
1	तमिलनाडु	10673	5089	0	0	158	103	60	37

*अनंतिम

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को जारी की गई निधि

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त निधि (लाख रूपये में)		
		2022-23	2023-24	2024-25* (31.03.2025 तक)
1	तमिलनाडु	0.00	25.00	300.00

*अनंतिम

एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत ऋण की कुल राशि और लाभार्थियों की संख्या

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25 (31.03.2025 तक)*	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	तमिलनाडु	1087.13	3403	3265.67	7327	1210.39	6437

*अनंतिम

अनुलग्नक I

श्री रॉबर्ट ब्रूस सी द्वारा "तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1847 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) : माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँवों में अवसंरचनात्मक अंतरों को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) है।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है।

(iii) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात, "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्यम से डिजाइन किया गया है।

इस योजना में चयनित लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा करने की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष लघु वनोपज (एमएफपी) वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और विपणन कार्य निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही, सतत (टिकाऊ) संग्रहण, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, लघु वनोपज (एमएफपी) के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना विकास जैसे अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता के पहल को मजबूत करना और प्राकृतिक संशाधनों के इष्टतम उपयोग, कृषि/लघुवन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधन को बढावा देकर आजिविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। योजना के तहत, राज्य

सरकारों को वनधन विकास केन्द्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किया गया था। नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करना होगा। शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत 288 ईएमआरएस स्कूलों को वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

(vi) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि को कवर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

(vii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225/- रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525/- रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जहाँ यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(viii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहां यह 90:10 है को छोड़कर,

सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति : यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष कुल बीस छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इनमें से, 17 छात्रवृत्तियां अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए है। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (शीर्ष श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों, जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और पुस्तकों व कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रति वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जहां पहले से नए टीआरआई स्थापित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करने के लिए और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को सुदृढ करने हेतु अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातियों के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में आदान-प्रदान यात्राओं, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकता के आधार पर टीआरआई को 100% सहायता अनुदान वित्त पोषित है।

*****